

:- अनौपचारिक टिप्पणी :-

विषय:- निगम की वेबसाईट (rmsh.health.rajasthan.gov.in) अपडेट करवाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपकी ई-मेल दिनांक 09.02.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निगम की वेबसाईट (rmsh.health.rajasthan.gov.in) पर तकनीकी सलाहकार समिति के औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स के सदस्यों की सूचना को अपडेट करवाने हेतु पत्र (पत्र क्रमांक 348, दिनांक 10.07.2024) संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

**कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक)
आरएमएससी**

अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससी।

अनौ.टि.क्रमांक : एफ. 06 ()/आर.एम.एस.सी./लॉजिस्टिक/2024-25/422 दिनांक : 02/08/2024



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3)

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.20()चि.स्वा./2/2011 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा गठित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समस्त क्रियाकलापों को सुचारु रूप से चलाने के लिए मंत्रिमण्डल ज्ञापन क्रमांक प.20(3) चि.स्वा./ग्रुप 2/2011 दिनांक 31.03.2011 जिसका अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा 49/2011 दिनांक 04.04.2011 के द्वारा किया गया, के बिन्दु संख्या V (9) के निर्देशानुसार जारी पत्र क्रमांक प0() आरएमएससीएल/2011/एसपीएल-1 दिनांक 06.05.2011 द्वारा 20 सदस्यों की तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। जिसके पश्चात् तकनीकी सलाहकार समिति का समय-समय पर पुर्नगठन किया गया। वर्तमान में तत्कालीन माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित गठित तकनीकी सलाहकार समिति (क्रमांक प0 11 (5) चिस्वा/ग्रुप-3/2023 दिनांक 09.03.2023) के अधिक्रमण में औषधियों एवं सर्जिकल्स, सूचर्स हेतु भिन्न-भिन्न तकनीकी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है।

औषधियों हेतु तकनीकी सलाहकार समिति:-

अध्यक्ष

- 1 प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।

सदस्य सचिव

- 2 कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक), आरएमएससी।

सदस्य-

- 3 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 4 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- 5 निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
- 6 विभागाध्यक्ष, फार्माकोलोजी विभाग, जे.एल.एन मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
- 7 औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
- 8 डॉ. सुधीर मेहता, सीनियर प्रोफेसर, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 9 डॉ. कपिल गर्ग, सीनियर प्रोफेसर (शिशु रोग), जे.के लोन चिकित्सालय, जयपुर।
- 10 डॉ. सुरेश सिंह, प्रोफेसर (कैंसर सर्जरी), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 11 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्वू0), आरएमएससी।

सर्जिकल्स एवं सूचर्स हेतु तकनीकी सलाहकार समिति:-

अध्यक्ष

- 1 प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।

सदस्य सचिव

- 2 कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक), आरएमएससी।

सदस्य-

- 3 निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
- 4 डॉ. राजेश शर्मा, विभागाध्यक्ष ट्रौमा विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 5 डॉ. राजेन्द्र मांडिया, सीनियर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सर्जरी), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 6 डॉ. अनिता सिमलोत, सीनियर प्रोफेसर, जनाना चिकित्सालय, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

7. डॉ. जीवन कांकरिया, सीनियर प्रोफेसर (जनरल सर्जरी), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

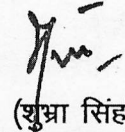
8. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्यू0), आरएमएससी।

उक्त समिति आवश्यक दवा सूची में शामिल/विलोपित किये जाने वाले औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स के संबंध में निर्णय लेने का कार्य करेगी। औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स हेतु समय-समय पर एजेण्डा की आवश्यकतानुसार अन्य विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकेगा।

तकनीकी सलाहकार समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित कर निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा कर उचित सुझाव प्रस्तुत करती है, जिससे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के निम्न मुख्य उद्देश्यों का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सके :-

1. आवश्यक दवा सूची में नवीन/उपयोगी दवाओं को शामिल करने एवं अप्रचलित दवाओं को हटाने के संबंध में।
2. कौन-कौनसी औषधियां, सर्जिकल्स एवं सूचर्स क्रय करने हैं।
3. दवाओं की गुणवत्ता के मापदण्ड तय करना।
4. चिकित्सालयों में गठित DTC द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार-विमर्श करना।
5. अन्य विषय जिस पर कमेटी के सुझाव अपेक्षित हों।

अतः सदस्यों को शामिल करते हुए तकनीकी सलाहकार समिति का पुर्नगठन किया जाता है।



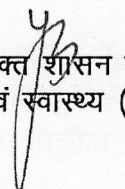
(शुभ्रा सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग
दिनांक 10.07.2024

क्रमांक प0 11 (5) चिस्वा/ग्रुप-3/2023 /348

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर।
6. विशेषाधिकारी/समस्त कार्यकारी निदेशक आरएमएससी।
7. विशेषाधिकारी/अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
10. समस्त सदस्य तकनीकी सलाहकार समिति।
11. आदेश पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग